विविध बैंक प्रकरण सं0 56/2019 (RCMS 2019/00094) पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा श्री गुरूनानक गर्ल्स सी. सै. स्कूल, श्रीगंगानगर जरिए प्राधिकृत अधिकारी बनाम 1. श्री दर्शना मिढा पत्नी श्री घनश्याम दास मिढा 2. घनश्याम दास मिढा पुत्र श्री ताराचन्द हाउस नं 23 गली नं. 13, वार्ड नं. 17, चक 1 ए छोटी, मुरब्बा नं. 41/44 किला नं. 10, खेतड़ा पाल मन्दिर के पास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर 3. संदीप चाण्डक पुत्र श्री मदनलाल सिंधी हाउस नं. 203, जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.08.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने जरिए अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी दर्शना मिढा, घनश्याम दास मिढा एवं संदीप चाण्डक को ऋण सुविधा के रूप में 15.00 लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रक लाख मात्र) का ऋण दिनांक 26.05.2017 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दर्शना मिढा की अचल सम्पत्ति हाउस नं 23, गली नं. 13, वार्ड नं. 17, चक नं. 1 ए छोटी, मुरब्बा नं. 41/44, किला नं. 1., खेत्रपाल मन्दिर के पास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1650 वर्गफीट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी एवं अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.11.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.11.2018 को 14,37,966/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नोटिस दिनांक 06.12.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी दर्शना मिढा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति हाउस नं 23, गली नं. 13, वार्ड नं. 17, चक नं. 1 ए छोटी, मुरब्बा नं. 41/44, किला नं. 1., खेत्रपाल मन्दिर के पास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1650 वर्गफीट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति हाउस नं 23, गली नं. 13, वार्ड नं. 17, चक नं. 1 ए छोटी, मुरब्बा नं. 41/44, किला नं. 1., खेत्रपाल मन्दिर के पास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1650 वर्गफीट) जो ऋणी दर्शना मिढा के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 06.12.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 06.12.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण दर्शना मिढा, घनश्याम दास मिढा एवं संदीप चाण्डक के नाम जारी किया गया है परन्तु प्रार्थी बैंक ने पोस्ट ऑफिस की धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की एवं प्राप्ति की ए.डी.रसीद संलग्न नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण पर नोटिस की तामील होना नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा गुरूनानक गर्ल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **अस्वीकार किया जाता है और प्रार्थी बैंक** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत **अप्रार्थीगण की नियमानुसार पुनः तामील** करवाकर इस न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रकरण पुनः पेश करने के लिए स्वतंत्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर